

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

-: संशोधित विज्ञापन :-

आवेदन की अंतिम तिथि 22.12.2012

क्रमांक 7702 /जि.पं. /शिक्षा /2012

रायगढ़, दिनांक 11.12.12

कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 3650 /जि.पं. /व्याख्याता /2012 दिनांक 20.07.2012 एवं संशोधित विज्ञापन क्रमांक 5274 जि.पं. /व्याख्याता /2012 दिनांक 12.09.2012 द्वारा व्याख्याता (पंचायत) के रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये गये है उपरोक्त के संबंध में छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग डी.के.एस. भवन मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक /पंचा.-192 /पंचाविवि /2012 /1167 रायपुर दिनांक 21.08.2012, जारी अधिसूचना रायपुर दिनांक 17 अगस्त 2012 क. /पं. /पंचाविवि /22 /2012 /1162 एवं अधिसूचना रायपुर दिनांक 19.11.2012 क्रमांक /पंचा. 142 /पंचाविवि /22 /2012 /1563 छ.ग. पंचायतराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (एक) एवं धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ख) सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नियम 2012 बनाती है। तदनुक्रम में दिये गये संशोधन अनुसार पुनः इच्छुक उम्मीदवारों से पूर्व रिक्त पदों पर ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ द्वारा पूर्व विज्ञापन में निम्नांकित एवं यथासमय प्राप्त किये गये संशोधित नियमानुसार दिनांक 22.12.2012 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(अ) संशोधित व्याख्याता (पंचायत) के विषयवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय का नाम	(अ)				(ब)				(स)				(द)				(इ)			
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	भौतिकी (बैकलॉग)	0	2	29	0	0	0	8	0	0	0	2	0	0	1	4	0	0	1	15	0
2	रसायन (बैकलॉग)	0	1	23	1	0	0	10	0	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	8	1
3	जीव विज्ञान (बैकलॉग)	1	3	38	1	0	0	14	1	0	2	4	0	1	0	6	0	0	1	14	0
4	गणित (बैकलॉग)	3	13	65	3	1	5	21	0	0	2	4	0	1	2	7	0	1	4	33	3
5	राजनीति (बैकलॉग)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
6	संस्कृत (बैकलॉग)	1	16	55	3	0	5	21	0	0	1	4	1	0	2	7	0	1	8	23	2
7	अंग्रेजी (बैकलॉग)	3	3	52	0	0	1	18	0	0	0	4	0	0	1	7	0	3	1	23	0
8	वाणिज्य (बैकलॉग)	0	1	39	1	0	0	19	0	0	0	4	0	0	0	6	0	0	1	10	1
	योग	8	39	302	9	1	11	111	1	0	6	24	1	2	6	40	0	5	16	127	7

(ब) व्याख्याता (पंचायत) हेतु न्यूनतम अर्हताएं :-

शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड. उपाधि :-

तथापि यदि व्याख्याता (पंचायत) के पद पर नियुक्ति के लिए बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो ऐसे मामलों में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष के अन्दर बी.एड. पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी ।

क्रमांक	विषय	विषय समूह
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2	हिन्दी	हिन्दी
3	संस्कृत	संस्कृत एम.ए. संस्कृत /एम.ए. (क्लासिक) /संस्कृत .में (आचार्य) स्नातकोत्तर उपाधि
4	गणित	गणित /एप्लाइड गणित
5	जीवविज्ञान	वनस्पति शास्त्र /प्राणीशास्त्र /मानव विज्ञान /जैविकी /अनुवांशिकी (जैनेटिक्स) /सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायलाजी)/ जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नॉलाजी) /आणविक जीवविज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी) पादक कार्बिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर पर प्राणीशास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र रहा हो ।
6	भौतिकी	भौतिकी /इलेक्ट्रॉनिक्स /एप्लाइड भौतिकी /न्यूक्लियर भौतिकी
7	रसायन	रसायन /बायोकेमेस्ट्री
8	वाणिज्य	एकाउण्टेरी सहित वाणिज्य /कास्ट एकाउन्टिंग /फाइनेन्सियल एकाउन्टेरी एक मुख्य विषय हो
9	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र /एप्लाइड अर्थशास्त्र /बिजनेस अर्थशास्त्र
10	राजनीति	राजनीति विज्ञान /लोक प्रशासन
11	इतिहास	इतिहास /भारतीय प्राचीन इतिहास
12	भूगोल	भूगोल

टीप :-

1. जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । संशोधन अनुसार शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले आवेदक ही मान्य होंगे तथा संशोधित योग्यता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त माने जावेंगे । संशोधित शैक्षणिक योग्यता अनुसार ही भर्ती की कार्यवाही की जावेगी ।
2. पूर्व प्रकाशित कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 3650 /जि.पं. /व्याख्याता /2012 दिनांक 20.07.2012 एवं 5274 जि.पं. /व्याख्याता /2012 दिनांक 12.09.2012 में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है कि एवं शेष नियमावली यथावत् रहेगा ।
3. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विज्ञापन की प्रति जिला पंचायत रायगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है एवं जिला रायगढ़ के वेबसाईट www.raigarh.gov.in पर से भी डाउनलोड किया जा सकता है । कार्यालय द्वारा आवेदन का प्रारूप प्रदाय नहीं किया जावेगा ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

--: संशोधित विज्ञापन :-

अंतिम तिथि 22.12.2012

क्रमांक 7702 /जि.पं. /शिक्षा /2012

रायगढ़, दिनांक 11.12.12

कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 5620 /जि.पं. /शिक्षा /2012 दिनांक 26.09.2012 द्वारा शिक्षक (पंचायत) के कुल 56 रिक्त पदों पर पूर्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं उपरोक्त के संबंध में छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग डी.के.एस. भवन मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक /पंचा.-192 /पंचाविवि /2012 /1167 रायपुर दिनांक 21.08.2012, जारी अधिसूचना रायपुर दिनांक 17 अगस्त 2012 क. /पं. /पंचाविवि /22 /2012 /1162 एवं अधिसूचना रायपुर दिनांक 19.11.2012 क्रमांक /पंचा. 142 /पंचाविवि /22 /2012 /1563 छ.ग. पंचायतराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (एक) एवं धारा 53 की उपधारा (1) के खंड (ख) सहपठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम 2012-~~बननी~~ है। तदनुक्रम में दिये गये संशोधन अनुसार पुनः इच्छुक उम्मीदवारों से पूर्व रिक्त पदों पर ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायगढ़ द्वारा पूर्व विज्ञापन में निम्नांकित एवं यथासमय प्राप्त किये गये संशोधित नियमानुसार दिनांक 22.12.2012 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

(A) संशोधित शिक्षक (पंचायत) के विषयवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विषय का नाम	(अ)				(ब)				(स)				(द)				(इ)				कुल पद	
		कुल पद श्रेणीवार				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिए पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शाये गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए पदों की संख्या					
		UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC		
1	गणित (बकलाग)	8	2	28	1	4		9			1	2				3			4	1	14	1	39
2	विज्ञान (बकलाग)	3	1	7	0	2		3			1	2			1			1		1			11
3	अंग्रेजी (बकलाग)	1	2	3	0	1		2										1	1	1			6
	योग	12	5	38	1	6	1	14	0	0	2	4	0	0	0	4	0	6	2	16	1	56	

(B) शिक्षक (पंचायत) हेतु न्यूनतम अर्हताएं :-

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से निम्नलिखित योग्यता हो

(क) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाए)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)।

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये दिशा-निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी .) उत्तीर्ण।

(ग) उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक विषय निम्नानुसार होंगे ।

क्रमांक	विषय	विषय
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो।
2	हिन्दी	हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो।
3	सामाजिक विज्ञान	कोई दो विषय - इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान, इनमें से एक भूगोल या इतिहास विषय अनिवार्य होगा।
4	विज्ञान	रसायन, बायो केमिस्ट्री, फॉर्मसी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान एवं भू-गर्भ विज्ञान, इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक.
5	संस्कृत	संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बी.ए. (क्लासिक्स) अथवा संस्कृत में आचार्य स्नातक उपाधि।
5	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय भौतिकी/रसायन/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साइंस/सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान एवं भू-गर्भ विज्ञान। अथवा इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक.
7	लाईब्रेरियन	लाईब्रेरी साइंस में उपाधि या स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लाइब्रेरी साइंस में एक वर्षीय डिप्लोमा।

(C) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता :- यदि शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति में डी.एड. एवं बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जायेगी।


(क) कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)।

(ख) कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिये शिक्षा विज्ञान में एक वर्षीय उपाधि

उपरोक्त छूट 31 मार्च 2014 तक प्रभावशील रहेगी। ऐसी शिथिलता के फलस्वरूप नियुक्त शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हता ग्रहण करनी होगी।

टीप :-

1. जो अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। संशोधन अनुसार शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले आवेदक ही मान्य होंगे तथा संशोधित योग्यता पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त माने जावेंगे। संशोधित शैक्षणिक योग्यता अनुसार ही भर्ती की कार्यवाही की जावेगी।
2. पूर्व प्रकाशित कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक 5620 /जि.पं. /शिक्षा /2012 दिनांक 26.09.2012 में उपरोक्तानुसार संशोधन किया जाता है कि एवं शेष नियमावली यथावत् रहेगा।
3. आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विज्ञापन की प्रति जिला पंचायत रायगढ़ के सूचना पटल पर चस्था किया गया है एवं जिला रायगढ़ के वेबसाईट www.migach.gov.in पर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। कार्यालय द्वारा आवेदन का प्रारूप प्रदाय नहीं किया जावेगा।


 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 जिला पंचायत रायगढ़ (छ.ग.)

EDUCATION DEPARTMENT: CHADIGARH ADMINISTRATION

**O/o District Education Officer, Sector-19/B,
Adjoining Church, UT, Chandigarh.**

WALK-IN-INTERVIEW

All Devoted and dedicated persons(not above 60 years of age as on the date of interview) with good credentials and preferably Graduate qualification should have rendered services for at least 5 years in supervisory capacity, should bring along their bio-data along with two photographs for walk-in-interview being conducted on 17.12.2012 from 10.00A.M. to 12.00 noon, in the o/o District Education Officer, Sector-19/B (Adjoining Church), Chandigarh, for filling up of 10 positions of Supervisors under Mid-Day Meal Scheme. The job involves supervising of Mid-Day-Meal activities in UT schools from 7.00AM to 3.00 P.M. daily and at odd hours also. Candidates are required to have their own conveyance and a mobile phone. Remunerations for these jobs will be Rs. 9000/-P.M. Job is of seasonal nature and persons engaged can be laid-off as per the requirement of the job or the department from time to time. The job will, however, be automatically stand terminated on the date of completion of 62 years of age by the person so engaged.

Selection criteria

Sr. No.	Qualification/experience etc.	Marks Proposed
1.	Experience of working in the Supervisory capacity	5 marks for minimum 5 years' experience and 1 mark for every complete year of additional experience. Maximum marks: 10
2.	Qualification	2 marks for under Graduation, 5% weightage of marks in graduation (%marks in graduation divided by 20) and 2 marks for higher qualification. Maximum Marks: 09
3.	Experience in relevant field	One mark for each complete year Maximum marks: 5
4.	Exemplary work on National/ State affairs recognized by National/State authorities at Govt. Level	3 marks for National level and 2 marks for State level Maximum Marks: 5
5.	Interview	6 marks
	Total Marks:	35

District Education Officer,
UT, Chandigarh.

